



क्रमांक : - एफ 4( ) आकाशि/नि0सं0/2024/

दिनांक:-

संशोधन आदेश

विभाग के पत्रांक राजकाज रेफरेन्स नं. 6838010 दिनांक 29.04.2024, 8032847 दिनांक 13.06.2024, 8220699 दिनांक 20.06.2024 एवं 8478184 दिनांक 29.06.2024 द्वारा सत्र 2024-25 के लिए पूर्व संचालित निजी महाविद्यालयों हेतु विभागीय एन.ओ.सी. पोर्टल पर आवेदन करने हेतु तिथियों में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है:-

समय सारणी

क्रम संख्या	प्रकरण	आवेदन की तिथियां	शुल्क की राशि
1	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सहशिक्षा परिवर्तन/महिला शिक्षा परिवर्तन/नाम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण/नवीन विषय/संकाय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/सामान्य निरीक्षण शुल्क	20 जुलाई 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क
2	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण.पत्र/सहशिक्षा परिवर्तन/महिला शिक्षा परिवर्तन/नाम परिवर्तन /स्थान परिवर्तन/प्रबन्ध अन्तरण/नवीन विषय/संकाय/स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन/सामान्य निरीक्षण शुल्क	21 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क + रु.25000/- विलम्ब शुल्क
3	पूर्व संचालित महाविद्यालयों के निम्न प्रकरण:- अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि/स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सामान्य निरीक्षण शुल्क	28 जुलाई, 2024 से 03 अगस्त, 2024 तक	सामान्य आवेदन शुल्क + रु 25000/- विलम्ब शुल्क + रु 10000/- अतिरिक्त विलम्ब शुल्क

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
5. प्राचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय।
6. समस्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
7. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref  
8861244



Signature valid  
Digitally signed by Pankaj Sen  
Designation: Commissioner  
Date: 2024.07.12 10:01:26 IST  
Reason: Approved